

Not Press  
जोड़ लें  
होके

7/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपर  
अधिकतम वादी द्वारा कथन किया गया की वो वाद को  
आगे नहीं चलाना चाहते तथा वाद को Not Press  
करने हेतु पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया  
गया। अधिकतम वादी के निवेदन की स्वीकार  
किया जाकर न्यायालय द्वारा वाद खारिज  
किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार डेकल  
नम्बर से कम है वाद तकमिल डेकल दाखिल  
होता है।

उपर्युक्त पत्रावली निम्न  
जिला मुम्बई (राज.)

जिला न्यायाधीश  
जिला मुम्बई (राज.)

1  
-  
र  
क